कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 193/2026 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** दिनांक- 20.05.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 20.05.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

थाना- रानी की सराय, जनपद आजमगढ़

➡ थाना रानी की सराय पुलिस द्वारा 22.684 किग्रा अवैध गांजा के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

➡ लगभग 03 लाख रुपये कीमत का गांजा, 500 रुपये नगद, 02 मोबाइल फोन व स्विफ्ट कार बरामद

➡ एनडीपीएस एक्ट के अभियोग में लगभग 03 लाख रुपये कीमत के गांजे सहित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायालय

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय एवं थानाध्यक्ष रानी की सराय के नेतृत्व में व0उ0नि0 सुशील कुमार, उ0नि0 सूरज तिवारी मय हमराह क्षेत्र में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि 1. ऋषभ यादव पुत्र आलोक कुमार निवासी ग्राम अमोला बुजुर्ग थाना कटका जनपद अम्बेडकर नगर उम्र करीब 21 वर्ष तथा 2. संदीप यादव पुत्र बांके निवासी नूरपुर कला थाना कटका जनपद अम्बेडकर नगर उम्र करीब 19 वर्ष अवैध गांजा लेकर ग्राम कोटिला कट स्थित करीम होटल के पास खड़े हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर दिनांक 20.05.2026 को समय करीब 09:05 बजे दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 22.684 किग्रा अवैध नाजायज गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 03 लाख रुपये है, 500 रुपये नगद, 02 अदद मोबाइल फोन तथा एक स्विफ्ट कार संख्या JH01AX7700 बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 122/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम 1. ऋषभ यादव एवं 2. संदीप यादव उपरोक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 122/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. ऋषभ यादव पुत्र आलोक कुमार निवासी ग्राम अमोला बुजुर्ग थाना कटका जनपद अम्बेडकर नगर उ0प्र0 उम्र करीब 21 वर्ष।
2. संदीप यादव पुत्र बांके निवासी नूरपुर कला थाना कटका जनपद अम्बेडकर नगर उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी-

1. 22.684 किग्रा अवैध गांजा
2. 500 रुपये नगद
3. 02 अदद मोबाइल फोन
4. स्विफ्ट कार संख्या JH01AX7700

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 सुशील कुमार मय हमराह थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 सूरज तिवारी मय हमराह थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

थाना- सरायमीर, जनपद आजमगढ़

➡️ मारपीट, लाठी-डण्डे से हमला व रुपये छीनने के मामले में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

➡️ थाना सरायमीर पुलिस द्वारा अभियुक्त आशीष उर्फ डिम्पल को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायालय

दिनांक 18.05.2026 को वादी लालचन्द्र सोनकर पुत्र मुन्नीलाल सोनकर निवासी ग्राम लेडुआवर बसालतगंज थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 17.05.2026 की रात्रि लगभग 23:00 बजे पुरानी रंजिश को लेकर अभियुक्तगण 1. आशीष उर्फ डिम्पल पुत्र रामसेवक, 2. अमन उर्फ सीबू पुत्र चन्द्रिका, 3. दिनेश पुत्र लक्षमन निवासीगण ग्राम लेडुआवर थाना सरायमीर तथा 4. मुकेश पुत्र राजदेव निवासी बसालतगंज थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा एक राय होकर वादी के पुत्र वीरेन्द्र सोनकर के साथ गाली-गलौज, मारपीट, लाठी-डण्डे से हमला करने, गर्म पानी के भगौने में डालने, 10 हजार रुपये छीनने तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 125/2026 धारा 115(2), 352, 351(3), 124(1), 309(4), 3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

विवेचना के क्रम में दिनांक 20.05.2026 को उ0नि0 बासुदेव साहनी मय हमराह द्वारा घटना स्थल ग्राम लेडुआवर पहुंचकर मौजूद लोगों से पूछताछ एवं गवाहों के बयान लिये गये, जिसमें अभियुक्त आशीष कुमार गौतम उर्फ डिम्पल पुत्र रामसेवक निवासी ग्राम लेडुआवर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ की संलिप्तता प्रकाश में आयी तथा अन्य आरोपियों की संलिप्तता नहीं पायी गयी, जिसके आधार पर मुकदमे से धारा 3(5)/309(4) बीएनएस का लोप किया गया।

इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त दवा-इलाज कराकर ऑटो से घर वापस जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा सिकरौर सहबरी सरायमीर मार्ग पर चेकिंग के दौरान समय करीब 23:20 बजे अभियुक्त आशीष कुमार उर्फ डिम्पल पुत्र रामसेवक निवासी ग्राम लेडुआवर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्त को मुकदमे से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. आशीष कुमार उर्फ डिम्पल पुत्र रामसेवक निवासी ग्राम लेडुआवर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 125/2026 धारा 115(2), 352, 351(3), 124(1) बीएनएस थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 बासुदेव साहनी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. हे0का0 गौतम यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
3. रि0का0 मनीष यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

थाना- अहरौला, जनपद आजमगढ़

➡️ कान की झुमकी लूट की घटना का सफल अनावरण, 01 अभियुक्त गिरफ्तार, अबतक कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तार

➡️ एक अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस भी बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक- 07.05.2026 को वादी अरविन्द कुमार पुत्र जानकी राम निवासी ग्राम कोर्राधाटमपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गयी कि मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनकी पत्नी के दाहिने कान की झुमकी झपट्टा मारकर छीन ली गयी, जिससे उनके कान में चोट भी आयी। उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 120/2026 धारा 309(6)/115(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम द्वारा विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों,

सर्विलांस एवं अन्य साक्ष्यों का गहन विश्लेषण कर अभियुक्तों की पहचान सुनिश्चित की गयी। विवेचना के दौरान धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

इसी क्रम में दिनांक 18.05.2026 को उ0नि0 यश कुमार पटेल मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त बिजेन्द्र विश्वकर्मा उर्फ विपिन विश्वकर्मा पुत्र दिनेश विश्वकर्मा निवासी खालिसपुर भटौली थाना मालीपुर जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 26 वर्ष को ग्राम केवलकड़ माहुल-अम्बारी मार्ग बार्डर से पहले पुलिया के पास से समय करीब 23:40 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर एक अदद लूटी गयी कान की झुमकी पीली धातु बरामद हुई।

तत्पश्चात दिनांक 20.05.2026 को उ0नि0 यश कुमार पटेल मय हमराह द्वारा माहुल कस्बा स्थित शंकर तिराहा पर चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित दूसरे वांछित अभियुक्त सेराज पुत्र रियाज उर्फ बेचू निवासी पवई रकबा थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को बरामदपुर पुलिया के पास से समय करीब 01:48 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर तथा एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 143/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सेराज पुत्र रियाज उर्फ बेचू निवासी पवई रकबा थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 120/2026 धारा 309(6)/115(2)/317(2) बीएनएस थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 143/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

बरामदगी-

1. एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर।
2. एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 120/2026 धारा 309(6)/115(2)/317(2) बीएनएस थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 143/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 यश कुमार पटेल चौकी प्रभारी माहुल थाना अहरौला, उ0नि0 शशिकान्त यादव प्रभारी सर्विलांस सेल, हे0का0 इंद्रमणि पटेल, हे0का0 सुरेन्द्र निषाद, हे0का0 प्रमोद यादव, हे0का0 उमेश यादव, का0 माजिद अंसारी, का0 विशाल मल, का0 विकास ठाकुर, का0 वरुण कुमार, का0 विश्वकर्मा संदीप तथा का0 अरमान द्वारा संयुक्त रूप से गिरफ्तारी एवं अनावरण की कार्यवाही की गयी।

थाना- दीदारगंज, जनपद आजमगढ़

➡ थाना दीदारगंज पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध गांजा के साथ किया गया गिरफ्तार

➡ अभियुक्त के कब्जे से 1.114 किग्रा नाजायज गांजा बरामद, अनुमानित कीमत लगभग 20 हजार रुपये

दिनांक 20.05.2026 को व0उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह का0 सोनू यादव व रि0आरक्षी सुशील प्रजापति तथा सरकारी जीप चालक हे0का0 अजय यादव के साथ थाना क्षेत्र में देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित अपराधी एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चेकिंग में मौजूद थे। इसी दौरान पुलिस टीम सुघरपुर तिराहे पर मौजूद थी कि मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस टीम आमगांव चौराहा कुशलगांव रोड पहुंची, जहां एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर सकपका गया तथा भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ लिया गया।

पकड़े गये व्यक्ति ने पूछताछ में अपना नाम दिलशाद पुत्र मोहम्मद निवासी मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष बताया। अभियुक्त की जामा तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 1.114 किग्रा नाजायज गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 20 हजार रुपये है। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत समय करीब 06:51 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

दिलशाद पुत्र मोहम्मद निवासी मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग एवं आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 95/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 137/2021 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 300/2023 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

बरामदगी-

1. 1.114 किग्रा नाजायज गांजा
   (अनुमानित मूल्य लगभग 20,000 रुपये)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 अनिल कुमार सिंह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
2. का0 सोनू यादव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
3. रि0आरक्षी सुशील प्रजापति थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

थाना- अहरौला, जनपद आजमगढ़

➡️ गोवध निवारण अधिनियम के मुकदमे में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

➡️ थाना अहरौला पुलिस द्वारा अभियुक्त जरार को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायालय

दिनांक 13.02.2026 को वादी मिथिलेश कुमार पुत्र रूपचन्द निवासी ग्राम छतौना आछेपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि वह खेती-किसानी के कार्य से खेत की तरफ गये थे, जहां आछेपुर-छतौना-रूदलगंज मार्ग से कुछ दूरी पर सीवान खेत में एक बछड़े (सांड गोवंश) को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा क्रूरतापूर्वक रस्सी से पैर बांधकर धारदार हथियार से गर्दन काटकर बध कर दिया गया था तथा एक अन्य गोवंश जीवित अवस्था में रस्सी से बंधा हुआ मिला। उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 034/2026 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 विजयी द्वारा की जा रही थी, जिसमें अभियुक्त जरार पुत्र वाजिद निवासी सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

इसी क्रम में दिनांक 20.05.2026 को उ0नि0 विजयी मय हमराह शाहपुर बाजार में मौजूद थे कि सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त केदारपुर पुलिया के पास मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर अभियुक्त जरार पुत्र वाजिद निवासी सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष को समय करीब 03:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

जरार पुत्र वाजिद निवासी सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 034/2026 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 034/2026 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 280/2017 धारा 147/323/504/506/452/336 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 153/2014 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 विजयी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।
2. का0 राजेश कुमार यादव थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।
3. का0 बलवंत यादव थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।
4. रि0का0 सुभाष वर्मा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।
5. रि0का0 विकाश थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

थाना- तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

➡ सोने की चेन स्नेचिंग की घटना का सफल अनावरण, 02 अभियुक्त गिरफ्तार

➡ अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचा, जिन्दा कारतूस, चापड़ व नकदी बरामद

दिनांक 17.05.2026 को वादी श्याम नरायन यादव पुत्र स्व0 मधुबन यादव निवासी ग्राम एकमा थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 16.05.2026 की रात्रि करीब 10:00 बजे वह आजमगढ़ शहर से दूध बांटकर वापस अपने घर जा रहे थे कि नैपुरा प्राइमरी स्कूल के पहले स्थित गुमटी के पास तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनकी मोटरसाइकिल रोककर गले से सोने की चेन झपट्टा मारकर छीन ली गयी, जिससे वह सड़क पर गिर गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 75/2026 धारा 304 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 लोकेशमणि त्रिपाठी द्वारा की जा रही थी।

घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार पतारसी-सुरागरसी की जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 20.05.2026 को उ0नि0 लोकेश मणि त्रिपाठी मय हमराह तथा उ0नि0 सुर्लभ पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर जानकीपुर पुलिया बहद ग्राम जानकीपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दो अन्य अभियुक्त मोटरसाइकिल से भागने में सफल रहे।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में अपना नाम 1. राम आशीष पाल उर्फ अमित पुत्र राम अजोर पाल निवासी ग्राम ढढनी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष तथा 2. अवनीश यादव उर्फ गोलू पुत्र वीरेन्द्र यादव निवासी ग्राम नैपुरा थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष बताया। तलाशी के दौरान अभियुक्त राम आशीष पाल उर्फ अमित के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर, 4120 रुपये नकद एवं एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद हुआ। अभियुक्त अवनीश यादव उर्फ गोलू के कब्जे से एक अदद लोहे का चापड़, 3910 रुपये नकद एवं एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 79/2026 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट तथा मु0अ0सं0 80/2026 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उन्होंने अपने अन्य साथियों अमन एवं अरविन्द के साथ मिलकर ग्राम प्रधान श्याम नरायन यादव की सोने की चेन एवं नकदी लूटने की योजना बनायी थी। घटना के दिन सभी अभियुक्तों ने रास्ते में घेरकर वादी की मोटरसाइकिल रुकवाई और गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गये। छीनी गयी चेन को एक राहगीर को बेच दिया गया तथा बिक्री से प्राप्त रुपये आपस में बांट लिये गये। बरामद नकदी उसी बिक्री से प्राप्त धनराशि का शेष हिस्सा है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. राम आशीष पाल उर्फ अमित पुत्र राम अजोर पाल निवासी ग्राम ढढनी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
2. अवनीश यादव उर्फ गोलू पुत्र वीरेन्द्र यादव निवासी ग्राम नैपुरा थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 75/2026 धारा 304 बीएनएस थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 79/2026 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 80/2026 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी-

1. एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर।
2. एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।
3. एक अदद लोहे का चापड़।
4. कुल 8030 रुपये नकद।
5. दो अदद एंड्रॉयड मोबाइल फोन।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 लोकेश मणि त्रिपाठी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 सुर्लभ पाण्डेय थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
3. का0 सत्यम सिंह थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
4. का0 ताहिर अली थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
5. का0 अरविन्द कुमार थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
6. का0 मिथिलेश शाह थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।

थाना- रौनापार, जनपद आजमगढ़

➡ नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

➡ थाना रौनापार पुलिस द्वारा अपहृता को सकुशल बरामद कर बाल अपचारी को किया गया अभिरक्षा में

वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 13.05.2026 को समय करीब 01:30 बजे दिन में एक बाल अपचारी, जो ग्राम पहाड़पुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ में अपने ननिहाल में रहता था, द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर कहीं भगा ले जाया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 120/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। दौराने विवेचना अपहृता की बरामदगी कर उसका बयान अन्तर्गत धारा 180 बीएनएसएस अंकित किया गया तथा मा0 न्यायालय के समक्ष धारा 183 बीएनएसएस के तहत बयान की कार्यवाही प्रचलित है।

थानाध्यक्ष रौनापार के निर्देशन में उ0नि0 मधुसूदन मिश्रा मय हमराह द्वारा दिनांक 19.05.2026 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहृता उम्र करीब 16 वर्ष एवं बाल अपचारी उम्र करीब 17 वर्ष को समय करीब 14:10 बजे कल्याणपुर पुलिया थाना क्षेत्र रौनापार से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। तत्पश्चात परिजनों को सूचना देते हुए दोनों को आवश्यक विधिक कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

प्रेस नोट दिनांक- 20.05.2026
जनपद- आजमगढ़

➡ *परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण की बैठक में एक परिवार का कराया गया सफल समझौता*

➡ *काउन्सलिंग के माध्यम से पारिवारिक विवादों के समाधान का लगातार किया जा रहा प्रयास*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पर्यवेक्षण में दिनांक 20.05.2026 को थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ परिसर स्थित परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में कुल 04 पत्रावलियों में दोनों पक्षों को फोन/नोटिस के माध्यम से सूचित कर मिडिएशन हेतु बुलाया गया, जिसमें 03 पत्रावलियों में दोनों पक्ष उपस्थित हुए।

मिडिएशन के दौरान 01 पत्रावली में एक जोड़ा कुशलता प्रकट करने हेतु उपस्थित हुआ, जबकि 01 पत्रावली में अथक प्रयास एवं काउन्सलिंग के माध्यम से दोनों पक्षों के मध्य सफल समझौता कराया गया। उक्त प्रकरण में आवेदिका द्वारा पति पर विदाई न कराने एवं दवा-इलाज हेतु आर्थिक सहायता न देने का आरोप लगाया गया था। दोनों पक्षों की संयुक्त एवं अलग-अलग काउन्सलिंग कर समस्या का समाधान कराया गया। 01 अन्य पत्रावली को अन्य कारणों से बन्द किया गया। शेष पत्रावलियों में दोनों पक्षों को अग्रिम तिथि हेतु नोटिस/फोन द्वारा सूचित कर पुनः मिडिएशन कराया जायेगा।

नई किरण प्रोजेक्ट बिखरे हुए परिवारों को पुनः एक सूत्र में जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास है, जिससे परिवारों में नई आशा एवं सामंजस्य स्थापित हो रहा है तथा पारिवारिक न्यायालयों के कार्यभार में भी कमी आ रही है।

कुल समझौते- 01

समझौता कराने वाली टीम-
उ0नि0 महेन्द्र प्रसाद तिवारी प्रभारी परिवार परामर्श प्रकोष्ठ, उ0नि0 सत्यनारायण यादव, आरक्षी सुनील कुमार गुप्ता, आरक्षी जितेन्द्र शाह एवं महिला आरक्षी नेहा सिंह उपस्थित रहे।

समझौता प्रकरण-
वन्दना सोनकर पुत्री घुरहु सोनकर निवासी ग्राम भटनीपारा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

उत्तर प्रदेश पुलिस